44. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) में, "धारा 139 के अधीन विवरणी दी है या जिसके मामले में उस धारा की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन विवरणी दी है या जिसके मामले में धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने के लिए अनुज्ञात समय समाप्त हो गया है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 142 का संशोधन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 153 में, 1 अप्रैल, 2006, से,— धारा 153 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(1अ) निर्धारण का कोई आदेश, धारा 115बङ या धारा 115बच के अधीन, उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें सीमान्त फायदे प्रथमतः निर्धारणीय थे, अंत से दो वर्ष के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा।

(1आ) निर्धारण या पुनर्निर्धारण का कोई आदेश, धारा 115बछ के अधीन उस वित्तीय वर्ष के , जिसमें धारा 115बज के अधीन सूचना की तामील की गई थी, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2क) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2) में," शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1अ), उपधारा (1आ) और उपधारा (2) में," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) और उपधारा (2) में," शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "उपधारा (1), उपधारा (1अ), उपधारा (1आ) और उपधारा (2)," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

46. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (ख) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :— धारा 153ख का संशोधन।

"परंतु धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए परिसीमा अवधि, इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट अवधि या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से एक वर्ष, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी ।"।

47. आय-कर अधिनियम में, 1 जून, 2003 से,— धारा 153ग का संशोधन।

(क) धारा 153ग को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में, धारा 153क के दूसरे परंतुक में धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश है ।";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और रखी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) जहां उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त की जाती है या की गई है और उस निर्धारण वर्ष के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां प्राप्त करने की तारीख से पूर्व,—

(क) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की कोई विवरणी नहीं दी गई है और धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसको कोई सूचना जारी नहीं की गई है ; या

(ख) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी दी गई है किंतु धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की गई है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना तामील करने की परिसीमा समाप्त हो गई है ; या

(ग) निर्धारण या पुनः निर्धारण, यदि कोई हो, किया गया है,

वहां ऐसा निर्धारण अधिकारी धारा 153क में उपबंधित रीति में सूचना जारी करेगा और उस निर्धारण वर्ष के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा ।"।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) में 1 जून, 2005 से,— धारा 194क का संशोधन।

(i) खंड (ix) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(x) ऐसी आय को, जिसका किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् जारी किसी जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में ऐसी निधि या कंपनी द्वारा संदाय किया जाता है या संदेय है ;";

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 1**—खंड (i), खंड (vii) और खंड (viiक) के प्रयोजनों के लिए "सावधिक निक्षेप" से नियत अवधि की समाप्ति पर प्रतिसंदेय निक्षेप (जिसके अंतर्गत आवर्ती निक्षेप नहीं है) अभिप्रेत हैं ।

स्पष्टीकरण 2—खंड (x) के प्रयोजनों के लिए, "अवसंरचना पूंजी कंपनी" और " अवसंरचना पूंजी निधि" के क्रमशः वही अर्थ हैं जो उनका धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में हैं ।'।

धारा 194ग का संशोधन।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (3) के खंड (i) में, 1 जून, 2005 से,—

(क) परन्तुक में "दायित्वाधीन होगा ; या" शब्दों के स्थान पर "दायित्वाधीन होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्,—

"परन्तु यह और कि धारा 2 के अधीन कोई कटौती, माल वाहनों के चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के कारबार के दौरान उप-ठेकेदार के खाते में पूर्ववर्ष के दौरान निक्षेप की गई है या संदाय की गई है अथवा निक्षेप किए जाने या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से, संबद्ध व्यक्ति को, जो ऐसी रकम का संदाय कर रहा है या निक्षेप कर रहा है, विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, कोई घोषणा प्रस्तुत करने पर, नहीं की जाएगी, यदि ऐसा उप-ठेकेदार कोई व्यष्टि है, जिसके स्वामित्व में पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय दो से अधिक माल वाहन नहीं थे :

परन्तु यह भी कि वह व्यक्ति जो दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट उप-ठेकेदार को यथापूर्वोक्त किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, आय-कर प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए प्रस्तुत करेगा ; या"

(ग) खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'स्पष्टीकरण—खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, "माल वाहन" का वही अर्थ है जो उसका धारा 44कङ की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण में है ।'।

धारा 199 का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 199 की उपधारा (3) में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

धारा 203 का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

नई धारा 206क का अंतःस्थापन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 206 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2005 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी का दिया जाना ।

"206क. (1) धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरणियां तैयार करेगी और यथापूर्वोक्त तिमाही विवरणियों को ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जो अध्याय 12 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह विहित प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर तिमाही विवरणियां तैयार करे और उसे विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करे या परिदत्त कराए ।"।

धारा 206ग का संशोधन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

(क) उपधारा (4) के परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, "1 अप्रैल, 2005" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2006" अंक और शब्द, रखे जाएंगे ।

धारा 238 का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 238 में, उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां एक नियोजक द्वारा सीमांत फायदों का मूल्य अध्याय 12ज के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी अन्य नियोजक द्वारा उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए गए समझे गए सीमांत फायदों के कुल मूल्य में सम्मिलित किया जाता है, वहां केवल पश्चात्वर्ती व्यक्ति ही ऐसे सीमांत फायदों के संबंध में इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय का हकदार होगा ।"।

धारा 239 का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 239 में, उपधारा (2) के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) जहां दावा ऐसे सीमांत फायदों के संबंध में है, जो अप्रैल, 2006 के पहले दिन को आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय है, वहां ऐसे निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष ।"।

धारा 244क का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 244क में 1 अप्रैल, 2006 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(i) "धारा 206ग" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 115बङ के अधीन संदत्त या धारा 206ग" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक में "धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "धारा 115बङ की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में "धारा 143 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बच या धारा 115बछ या धारा 143 की उपधारा (3)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सीमांत फायदों के निर्धारण के संबंध में इस उपधारा के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, मानो "1989" अंकों के स्थान पर, "2006" अंक रखे गए थे ।"।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 246क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 246क का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कक) धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बच के अधीन निर्धारण का कोई आदेश, जहां निर्धारिती कोई नियोजक होते हुए, निर्धारित सीमांत फायदों की रकम के प्रति आक्षेप करता है ;

(कख) धारा 115बछ के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश ;";

(ii) खंड (ञ) के उपखंड (आ) में "धारा 271च" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 271च, धारा 271चख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 271 में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 271 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (ख) में, "धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(आ) खंड (ग) में, अंत में "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा,

(इ) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(घ) उसने सीमान्त फायदों की विशिष्टियों को छिपाया है या ऐसे सीमान्त फायदों की गलत विशिष्टियां दी हैं,";

(ई) उपखंड (iii) में,—

(i) "खंड (ग)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर, "खंड (ग) या खंड (घ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "आय" शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "आय या सीमान्त फायदों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6) इस धारा में आय के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह, यथास्थिति, आय या सीमान्त फायदों के प्रति निर्देश है और इस धारा के उपबंध, जहां तक हो सके, सीमान्त फायदों से संबंधित किसी निर्धारण के संबंध में भी लागू होंगे ।"।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2006 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271चख का अंतःस्थापन ।

"271चख. यदि कोई नियोजक, जिससे धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप में सीमांत फायदे की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा नियोजक, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा ।" सीमांत फायदों की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 272क की उपधारा (2) के खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2005 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 272क का संशोधन।

"(ठ) धारा 206क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तिमाही विवरणी परिदत्त करने या कराने में ;"।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 273ख में, "धारा 271चक" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 271चक, धारा 271चख" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 273ख का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 276गग में, 1 अप्रैल, 2006 से,— धारा 276गग का संशोधन।

(क) आरंभिक भाग में, "जिसके देने के लिए वह" शब्दों के स्थान पर, "जिसके देने के लिए वह सीमांत फायदों की विवरणी जो धारा 115बघ की उपधारा (1) या उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन दी गई सूचना द्वारा अपेक्षित है, या" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सम्यक् समय के भीतर आय की विवरणी" शब्दों, अंकों और कोष्ठक के स्थान पर, "धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी या धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 278 में, "कर से प्रभार्य किसी आय" शब्दों के स्थान पर, "कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमान्त फायदे" शब्द 1 अप्रैल, 2006 से रखे जाएंगे । धारा 278 का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ङ) का 1 अप्रैल, 2006 से लोप किया जाएगा । धारा 295 का संशोधन।